छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 14 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 23,1948)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2024–25) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड(2) की अपेक्षानुसार :–

(i) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–02 (निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल),

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–03 (निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल),

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024–25 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) तथा

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–05 (निष्पादन लेखापरीक्षा–सिविल) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण संवर्धन में लापरवाही किये जाने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला चिकित्सालय जांजगीर में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छियालिसवां, सैंतालीसवां, अड़तालीसवां, उनचासवां, पचासवां, इक्यावनवां, बावनवां, तिरपनवां एवं चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम भरदैयाडीह में पंचायत भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम बसहा में पंचायत भवन निर्माण करने,

(iii) मंगला में विद्युत जोन कार्यालय की स्थापना करने,

(2) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) बघनई बांध के नहर में नहर लाईनिंग कार्य करने,

(ii) राजिम नगर में महामाया चौक से आजाद चौक होते हुए गायत्री मंदिर चौक तक मार्ग का जीर्णोद्धार करने,

(3) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम लोखान में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम कोलेगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(iii) पंडरिया में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने,

(iv) पंडरिया से पांडातराई तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने तथा

(v) ग्राम पंडरीपानी में डामरीकृत सड़क निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव

क्रमशः 3

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(2) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

8. शासकीय संकल्प

निर्धारित समय
1 घंटा

श्री ओ. पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

''यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में संशोधन हेतु लाये गये जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2024 (संख्यांक 5 सन् 2024) को अंगीकृत करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) की परिधि के अंतर्गत आता है।''

9. प्रस्ताव

1 घंटा 30 मिनट

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :–

''छत्तीसगढ़ राज्य ने विगत दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केंद्र ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केंद्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केंद्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर
दिनांक 13 जुलाई, 2026